राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग

क्रमांकः प.18 (23) शिक्षा–4 / 2023 जयपुर, दिनांक : 22..8.2023

1. समस्त कुलपति, राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालय, राजस्थान
2. समस्त प्रेसिडेंट, निजी विश्वविद्यालय, राजस्थान
3. समस्त प्राचार्य, राजकीय एवं निजी महाविद्यालय, राजस्थान

विषयः–राजस्थान मिशन–2030 के सबंधं में हितधारकों के साथ गहन परामर्श (Intensive Consultation) कार्यक्रम के आयोजन हेतु।

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के चहुंमुखी विकास एवं प्रदेशवासियों की खुशहाली एवं उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए राजस्थान मिशन–2030 प्रारम्भ किया जा रहा है। सरकार का प्रयास है कि राजस्थान वर्ष 2030 तक देश का अग्रणी राज्य बने। इस हेतु हर क्षेत्र के लिए मानकों के निर्धारण एवं इन मानकों को प्राप्त करने हेतु समयबद्ध कार्ययोजना तैयार किये जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद् (CMRETAC) के नेतृत्व में "विकसित राजस्थान 2030" दस्तावेज (Vision Document) तैयार करने का निर्णय लिया गया है। इस दस्तावेज में प्रदेश के प्रबुद्धजनों, विषय विशेषज्ञों, हितधारकों, युवाओं एवं समाज के सभी वर्गों के सुझावों एवं प्रदेश वासियों की आकांक्षाओं व अपेक्षाओं को शामिल किया जाएगा। इसी उद्देश्य से राज्य में "राजस्थान मिशन–2030" अभियान के तहत समस्त राजकीय / निजी महाविद्यालयों, राज्य वित्त पोषित एवं निजी विश्वविद्यालयों में हितधारकों के साथ गहन परामर्श (Intensive consultation) कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा।

हितधारकों के साथ गहन परामर्श कार्यक्रम के आयोजन हेतु विभाग स्तर पर निम्नानुसार प्रोगाम मॉनिटरिंग यूनिट (PMU) का गठन किया जाता हैः–

1. श्री हर्ष सावन सुखा, संयुक्त सचिव–I उच्च शिक्षा
2. प्रोफेसर संजय लोढ़ा, सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् (RSHEC)
3. डॉ. फिरोज अख्तर, संयुक्त सचिव–II उच्च शिक्षा
4. डॉ. ताराचन्द बैरवा, संयुक्त निदेशक, एचआरडी
5. डॉ. विमलेश सोनी, संयुक्त निदेशक, आयोजना
6. डॉ. महेन्द चौधरी, आचार्य, अकादमिक शाखा
7. डॉ. ललिता यादव, प्रभारी, नवाचार प्रकोष्ठ

कार्यक्रम

- राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों के साथ गहन परामर्श कार्यक्रम आयोजन करने हेतु आमुखीकरण कार्यक्रम का आयोजनः– 19 अगस्त 2023 (आयोजित)
- निजी महाविद्यालयों के प्राचार्यों के साथ गहन परामर्श कार्यक्रम आयोजन करने हेतु आमुखीकरण कार्यक्रम का आयोजनः– 23 अगस्त 2023
- महाविद्यालयों से ऑनलाईन परामर्श :– 23 अगस्त 2023
  - विभाग की उपलब्धियों / पहल का प्रस्तुतिकरण
  - राज्य सरकार की उपलब्धियों की फिल्म का प्रदर्शन
  - विभाग की उपलब्धियों की फिल्म का प्रदर्शन
  - विभाग से सबंधित process indicators एवं outcome indicators में राजस्थान की वर्तमान स्थिति की पहचान
  - देश की वर्तमान स्थिति से उनकी तुलना

Scanned with CamScanner

गहन परामर्श कार्यक्रम (Intensive consulatation)

➢राजकीय एवं निजी महाविद्यालय में–
- ✓महाविद्यालय स्तर परः–24.08.2023 से 25.08.2023
- ✓जिला स्तर नोडल कॉलेज स्तर परः– 04.09.2023 से 06.09.2023
- ✓संभागीय स्तर परः– 08.09.2023 से 09.09.2023

➢राजस्थान राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद (RSHEC) स्तर परः–
- ✓प्रथम परामर्श :– 24.08.2023 से 25.08.2023
- ✓द्वितीय परामर्श :– 04.09.2023 से 06.09.2023

➢समस्त राज्य वित्तपोषित एवं निजी विश्वविद्यालयों में –
- ✓उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आमुखीकरण (वीसी के माध्यम से) – 24.08.2023 से 25.08.2023
- ✓विश्वविद्यालय परिसर में चर्चा– 04.09.2023 से 06.09.2023
- ✓विश्वविद्यालयों द्वारा उच्च शिक्षा विभाग से चर्चा (वीसी के माध्यम से) –11.09.2023 से 12.09.2023

- विभागीय मिशन–2030 डॉक्यूमन्ट तैयार करनाः– 11.09.2023 से 13.09.2023

गहन परामर्श कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले प्रतिभागी

महाविद्यालय स्तर परः–
- स्थानीय शिक्षाविद् एवं प्रबुद्वजन
- महाविद्यालय (राजकीय/निजी) के संकाय सदस्य(IQAC संयोजक आवश्यक रूप से सम्मिलित हों)
- NSS/ NCC/Rover ranger पदाधिकारीगण
- अभिभावकगण
- पूर्व छात्र परिषद् के सदस्य (Alumni Association)
- विकास समिति के सदस्य
- स्थानीय निजी महाविद्यालयों के प्राचार्यगण
- महाविद्यालय के विद्यार्थी

जिला स्तर पर :–
- शिक्षाविद् एवं प्रबुद्वजन
- जिले के सभी राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य
- जिला समन्वयक एनएसएस
- स्वयसेवी संस्थाएं
- औद्योगिकी संगठन के प्रतिनिधि
- समाज कल्याण विभाग के प्रतिनिधि
- महिला अधिकारिता विभाग के प्रतिनिधि
- कौशल एवं उद्यमिता विभाग के प्रतिनिधि (RSLDC, Sector skill council, NSDC तथा कौशल संवर्द्धन, उद्यमिता एवं व्यवसायिक पाठ्यकमों से सबंधित अन्य संगठन)

Scanned with CamScanner

संभागीय स्तर पर :–

- शिक्षाविद् एवं प्रबुद्वजन
- विश्वविद्यालय के एनईपी (NEP) नोडल अधिकारी
- शिक्षक संघ प्रतिनिधि
- स्वंयसेवी संस्थायें
- जिला उद्योग केन्द्र के प्रतिनिधि
- औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि
- रोजगार कार्यालय के प्रतिनिधि
- सहायक निदेशक–कॉलेज शिक्षा विभाग
- यूएन संस्थाओं के प्रतिनिधि
- राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं के प्रतिनिधि–IIT/IIM/MNIT इत्यादि
- कौशल एवं उद्यमिता विभाग के प्रतिनिधि (RSLDC, Sector skill council, NSDC तथा कौशल संवर्द्धन, उद्यमिता एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रमों से सबंधित अन्य संगठन)

विश्वविद्यालय स्तर परः–

- स्थानीय शिक्षाविद् एवं प्रबुद्वजन
- विश्वविद्यालय के संकाय सदस्य (IQAC संयोजक तथा NSS/ NCC/Rover ranger पदाधिकारीगण आवश्यक रूप से सम्मिलित हों)
- अभिभावकगण
- पूर्व छात्र परिषद् के सदस्य (Alumni Association)
- विश्वविद्यालय के विद्यार्थी
- औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि
- शिक्षक संघ प्रतिनिधि

राजस्थान मिशन–2030 के संबंध में संबंधित हितधारकों के साथ गहन परामर्श (Intensive Consultation) हेतु निर्देशः–

- हितधारकों के साथ राजस्थान मिशन–2030 के संबंध में महाविद्यालय, जिला और संभाग स्तर के महाविद्यालयों/नोडल महाविद्यालयों में राजस्थान मिशन–2030 विषय पर हितधारक गहन परामर्श (Intensive Consultation) कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
- यह गहन परामर्श कार्यक्रम 23 अगस्त से 15 सितम्बर तक आयोजित किये जायेंगे।
- प्रत्येक हितधारक गहन परामर्श (Intensive Consultation) से पहले महाविद्यालयों/नोडल महाविद्यालयों द्वारा विभाग की उपलब्धियों के विषय में विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया जायेगा और उसके बाद सुझाव आमंत्रित किये जायेंगे।
- यह सुनिश्चित किया जायेगा कि गहन परामर्श कार्यक्रम के दौरान उच्च शिक्षा के विकास से जुडे महत्वपूर्ण सभी मुद्दे सम्मिलित हों।
- समस्त आयोजक संस्थाएं अपने स्तर पर इस कार्यक्रम का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करेंगे।
- जिला स्तर और संभाग स्तर के महाविद्यालयों/नोडल महाविद्यालयों द्वारा हितधारक गहन परामर्श कार्यक्रम हेतु पांच सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा।
- हितधारक गहन परामर्श (Intensive Consultation) प्रतिनिधियों के साथ संवाद स्थापित कर ऑनलाइन व ऑफलाइन मोड पर यह परामर्श कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

Scanned with CamScanner

- ऑनलाइन व ऑफलाइन परामर्श कार्यक्रम के आयोजन की समस्त व्यवस्था आयोजक महाविद्यालयों/नोडल महाविद्यालयों द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।
- हितधारक गहन परामर्श (Intensive Consultation) के आयोजन से संबंधित समस्त व्यय विकास समिति या छात्रनिधि कोष से किया जाना है, जिसकी अनुमति प्रदान की जाती है
- महाविद्यालय, जिला एवं संभाग स्तर पर आयोजित होने वाले समस्त कार्यक्रमों की संभाग पर पदस्थापित सहायक निदेशक इन समस्त कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग सुनिश्चित करेंगें।
- राजकीय एवं निजी महाविद्यालयों/राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों/निजी विश्वविद्यालयों द्वारा हितधारक गहन परामर्श (Intensive Consultation) कार्यक्रम से संबंधित सूचनाएं आपको निम्नानुसार स्प्रैडशीट पर 23 अगस्त 2023 तक अतिआवश्यक रूप से नवाचार प्रकोष्ठ की मेल आईडी innovation.cceraj@ gmail.com पर भिजवायी जानी है–

स्तर	स्प्रेडशीट का नाम
राजकीय महाविद्यालय	Govt. College Mission 2030
निजी महाविद्यालय	Private College Mission 2030
राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालय	State Funded University Mission 2030
निजी विश्वविद्यालय	Private University Mission 2030
RSHEC	RSHEC Mission 2030

उपरोक्त सभी स्प्रेडशीट का लिंक निम्नानुसार रहेगा। (पृष्ठ संख्या 07 पर)

हितधारक परामर्श गतिविधियों की सूचनाः–

क्रम संख्या	दिनांक	हितधारक परामर्श गतिविधि का Venue	हितधारक परामर्श गतिविधि का मोड (ऑनलाइन व ऑफलाइन)	परामर्श गतिविधि किस अधिकारी/ जन प्रतिनिधि के संयोजन में आयोजित की जाएगी	संभावित हितधारकों का विवरण एवं संख्या	
					विवरण	संख्या
1						
2						

- **राजस्थान मिशन–2030 के सबंध में सुझाव एवं विचार राजस्थान मिशन–2030 अभियान की वेवसाईट/पोर्टल पर आमंत्रित किये जायेंगें।**

हितधारक गहन परामर्श (Intensive Consultation) कार्यक्रम की उपादेयता

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राजस्थान को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाना है। राज्य के सर्वांगीण विकास हेतु सभी विभागों के हितधारकों के परामर्श एवं सुझावों के आधार पर मिशन 2030 का विजन दस्तावेज तैयार करना है ताकि वर्ष 2030 तक राजस्थान में प्रगति की गति दस गुना बढाकर हर क्षेत्र में राज्य को देश का प्रथम राज्य बनाया जा सके।

हितधारक गहन परामर्श (Intensive Consultation) कार्यक्रम के फोटो और विडियो अपलोड करने हेतु निर्देश:

विभाग द्वारा सभी हितधारक परामर्श गतिविधियों का पूर्ण दस्तावेज तैयार किया जाएगा तथा गहन परामर्श गतिविधियों के फोटो और विडियों बनाकर राजस्थान मिशन–2030 की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

(भवानी सिंह देथा)
प्रमुख शासन सचिव
उच्च शिक्षा विभाग,

Scanned with CamScanner

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1.निजी सचिव, माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2.निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3.आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4.अतिरिक्त आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5.संयुक्त सचिव, आयोजना (ग्रप-4)
6.समस्त संयुक्त निदेशक, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
7.कुलसचिव, समस्त राज्य वित्त पोषित एवं निजी विश्वविद्यालय (उच्च शिक्षा)
8.वैब प्रभारी आयुक्तालय को अपलोड करने हेतु।
9.रक्षित पत्रावली।

संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा

Scanned with CamScanner

MISSION 2030

Spreadsheet's Link

S.NO	TYPE OF INSTITUTION	SPREADSHEET LINK
1	RSHEC MISSION 2030	RSHEC MISSION 2030
2	STAE FUNDED UNIVERSITIES MISSION 2030	STATE UNIVERSITIES MISSION 2030
3	PRIVATE UNIVERSITIES MISSION 2030	PRIVATE UNIVERSITIES MISSION 2030
4	GOVT. COLLEGE MISSION 2030	Govt Colleges Mission 2030
5	PRIVATE COLLEGE MISSION 2030	Private college Mission 2030